भारत में धर्म और आरक्षण: कानूनी और संवैधानिक दृष्टिकोण

सन्दर्भ: सुप्रीम कोर्ट ने कलकत्ता हाई कोर्ट के एक फैसले पर सुनवाई के दौरान टिप्पणी की, जिससे धर्म आधारित आरक्षण की संवैधानिक वैधता पर बहस फिर से शुरू हो गई है।

- सुप्रीम कोर्ट ने कहा, 'आरक्षण धर्म के आधार पर नहीं हो सकता।' यह टिप्पणी मई 2024 में कलकत्ता हाई कोर्ट के उस फैसले के संदर्भ में थी, जिसमें मुख्य रूप से मुस्लिम समुदायों को ओबीसी कोटा के तहत दिए गए आरक्षण को खारिज कर दिया गया था।

आरक्षण के लिए संवैधानिक ढांचा

- **ओबीसी आरक्षण अनुच्छेद 16(4):** राज्य को ऐसे 'पिछड़े वर्गों' को आरक्षण देने का अधिकार देता है, जिनका सार्वजनिक सेवाओं में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है।
- **इंद्रा साहनी बनाम भारत संघ (1992):** सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि केवल धर्म को किसी समूह को पिछड़ा वर्ग घोषित करने का आधार नहीं बनाया जा सकता, लेकिन यह एक प्रासंगिक कारक हो सकता है।

राज्यों के उदाहरण:

- **केरल (1956), कर्नाटक (1995), और तमिलनाडु (2007):** मुस्लिम समुदायों को उनके सामाजिक और आर्थिक पिछड़ेपन के आधार पर ओबीसी कोटा में शामिल किया गया।
- **जस्टिस सच्चर कमेटी (2006):** मुस्लिम ओबीसी की सरकारी सेवाओं में अत्यधिक कम उपस्थिति को उजागर किया और उन्हें समान अधिकार देने की सिफारिश की।

कलकत्ता हाई कोर्ट का फैसला (मई 2024):

- कोर्ट ने 77 वर्गों (ज्यादातर मुस्लिम समुदाय) को ओबीसी आरक्षण देने के फैसले को खारिज कर दिया।
- कोर्ट ने कहा कि इन आरक्षणों का आधार केवल 'धर्म' था और कोई 'वस्तुनिष्ठ मानदंड' (Objective Criteria) नहीं अपनाया गया, जो संवैधानिक सिद्धांतों का उल्लंघन है।

एससी आरक्षण:

- **अनुच्छेद 341(1):** राष्ट्रपति को एससी समुदायों को निर्दिष्ट करने का अधिकार देता है।
- **अनुसूचित जाति आदेश, 1950:** शुरुआत में एससी का दर्जा केवल हिंदुओं को दिया गया था, जिसे बाद में सिखों (1956) और बौद्धों (1990) को दिया गया।
- **धारा 3:** ईसाई और मुस्लिम धर्म में परिवर्तित व्यक्तियों को एससी आरक्षण से बाहर रखता है, क्योंकि तर्क है कि इन धर्मों में जाति संबंधी असमानताएं जारी नहीं रहतीं।

महत्वपूर्ण न्यायिक मिसालें:

- **सूसाई बनाम भारत संघ (1985):** जो लोग ईसाई धर्म में परिवर्तित होते हैं, उन्हें यह साबित करना होगा कि उनके साथ जाति आधारित भेदभाव अब भी होता है, तभी वे एससी लाभ प्राप्त कर सकते हैं।
- **गाजी सादुद्दीन बनाम महाराष्ट्र राज्य (लंबित):** ईसाई और मुस्लिम धर्मांतरित व्यक्तियों को एससी दर्जे से बाहर रखने की संवैधानिक वैधता को चुनौती देता है।

मुख्य मुद्दे और चिंताएं:

- **पिछड़ेपन के लिए वस्तुनिष्ठ मानदंड:** अदालतें बार-बार जोर देती हैं कि आरक्षण सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षणों पर आधारित होना चाहिए, न कि केवल धर्म पर।
- **जाति भेदभाव और धर्मांतरण:** धर्म परिवर्तन के बाद भी जातिगत भेदभाव जारी रहता है या नहीं, यह नीति निर्माताओं और अदालतों के लिए एक महत्वपूर्ण सवाल है।
- **कानूनी देरी:** रंगनाथ मिश्रा आयोग (2007) जैसे रिपोर्ट्स ने ईसाई और मुस्लिम धर्मांतरितों को एससी दर्जे में शामिल करने की सिफारिश की थी, लेकिन सरकारों ने इन सिफारिशों को लागू नहीं किया।

शासन के लिए प्रभाव:

- **सबूत-आधारित नीतियां:** पिछड़ेपन की पहचान के लिए आय, शिक्षा और रोजगार जैसे वस्तुनिष्ठ मानदंड जरूरी हैं।
- **सामाजिक न्याय का संतुलन:** नीतियां हाशिए पर मौजूद धार्मिक समूहों की सामाजिक-आर्थिक जरूरतों को संबोधित करें, लेकिन संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन न करें।
- **न्यायिक स्पष्टता:** गाजी सादुद्दीन जैसे लंबित मामलों और के.जी. बालकृष्णन आयोग की आगामी रिपोर्ट से एससी और ओबीसी आरक्षण का भविष्य तय हो सकता है।

तुलनात्मक विश्लेषण:

- भारत की जाति आधारित आरक्षण प्रणाली के विपरीत, अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देश धर्म के बिना, आर्थिक और शैक्षिक पिछड़ेपन पर ध्यान केंद्रित करते हुए सकारात्मक कार्रवाई (Affirmative Action) लागू करते हैं।

धर्म और आरक्षण: आगे की राह

- भारत में आरक्षण नीति को अधिक समावेशी बनाने के लिए वस्तुनिष्ठ मानदंड अपनाना आवश्यक है। आय, शिक्षा और रोजगार जैसे सामाजिक-आर्थिक कारकों के आधार पर पिछड़ेपन की पहचान की जानी चाहिए।

Face to Face Centres

DELHI MUKHERJEE NAGAR: 9205274741, 42 | LAXMI NAGAR : 9205212500, 9205962002 | RAJENDRA NAGAR: 9205274743 | UTTAR PRADESH PRAYAGRAJ: 0532-2260189, 8853467068 | LUCKNOW (ALIGANJ): 0522-4025825, 9506256789 | LUCKNOW (GOMTI NAGAR): 7234000501, 7234000502 | GREATER NOIDA: 9205336037, 38 | KANPUR: 7887003962, 7897003962 | GORAKHPUR : 7080847474, 9161947474 | ODISHA BHUBANESWAR: 9818244644/7656949029

dhyeyaias.com

धर्मांतरण के बाद जातिगत भेदभाव जारी रहता है या नहीं, इस पर शोध के साथ गहन अध्ययन जरूरी है।

- रंगनाथ मिश्रा आयोग और सच्चर कमेटी की सिफारिशों को लागू कर मुस्लिम और ईसाई धर्मावलंबियों की समस्याओं को हल किया जा सकता है। इसके अलावा, लंबित मामलों और आयोग की रिपोर्ट्स पर जल्द निर्णय लेना न्यायिक स्पष्टता लाएगा। आरक्षण के साथ शिक्षा, कौशल विकास और रोजगार पर भी जोर देना होगा।
- आर्थिक आधार पर आरक्षण की संभावनाओं पर विचार करना, अन्य देशों की सकारात्मक कार्रवाई नीतियों से प्रेरणा लेने का मार्ग प्रशस्त कर सकता है। राजनीतिक और सामाजिक सहमति से एक ऐसी नीति बनाई जा सकती है, जो सभी वर्गों के साथ न्याय करे और सामाजिक संतुलन बनाए रखे।

आर्कटिक रिपोर्ट कार्ड

सन्दर्भः नेशनल ओशनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन (NOAA) की ताजा 'आर्कटिक रिपोर्ट कार्ड' ने एक गंभीर चेतावनी जारी की है। इसमें बताया गया है कि आर्कटिक टुंड्रा, जो पहले कार्बन को संग्रहित करके जलवायु परिवर्तन को कम करता था, अब ग्लोबल वार्मिंग में योगदान दे रहा है। जैसे-जैसे इस क्षेत्र का तापमान बढ़ रहा है, परमाफ्रॉस्ट पिघल रहा है और बड़ी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड (CO2) और मीथेन, दोनों शक्तिशाली ग्रीनहाउस गैसेंख़्वायुमंडल में उत्सर्जित हो रही हैं। इससे जलवायु परिवर्तन तेज हो रहा है।

- यह बदलाव न केवल आर्कटिक को गर्म कर रहा है, बल्कि पूरी दुनिया पर प्रभाव डाल रहा है, जिससे अधिक गर्मी फंस रही है और तापमान में वृद्धि हो रही है।

बदलाव के मुख्य कारणः

- **बढ़ता तापमानः** आर्कटिक क्षेत्र वैश्विक औसत से चार गुना तेजी से गर्म हो रहा है। इस तेजी से बढ़ते तापमान के कारण परमाफ्रॉस्ट पिघल रहा है। पिघलने पर सूक्ष्मजीव (माइक्रोऑर्गैनिज्म) हजारों सालों से फंसे हुए कार्बनिक पदार्थों को तोड़कर कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन छोड़ते हैं।
- **वनाग्नि का बढ़नाः** आर्कटिक में जंगल की आग अधिक बार और तीव्र हो रही है। ये आग वनस्पतियों को जलाकर वातावरण में और अधिक कार्बन छोड़ती हैं और परमाफ्रॉस्ट के पिघलने की प्रक्रिया को तेज कर देती हैं। जलने के बाद बची हुई मिट्टी ग्रीनहाउस गैसों को और तेजी से छोड़ती है।

आर्कटिक टुंड्रा कार्बन कैसे स्टोर करता है?

- आर्कटिक टुंड्रा ने ऐतिहासिक रूप से कार्बन को ठंडे तापमान में धीमी प्रक्रिया के माध्यम से संग्रहित किया है। इस प्रक्रिया में, कार्बनिक पदार्थ परमाफ्रॉस्ट में जमा होते हैं और वायुमंडल में कार्बन को उत्सर्जित होने से रोकते हैं। परमाफ्रॉस्ट वह मिट्टी है जो कम से कम दो साल तक जमी रहती है।
- इसने प्राकृतिक कार्बन भंडारण प्रणाली के रूप में काम किया है।
- हजारों वर्षों में, इस प्रक्रिया के कारण आर्कटिक की मिट्टी में 1.6 ट्रिलियन मीट्रिक टन से अधिक कार्बन जमा हो गया है, जो पृथ्वी के वायुमंडल में मौजूद कार्बन की मात्रा से दोगुना है। इसने टुंड्रा को पृथ्वी के सबसे बड़े कार्बन भंडारों में से एक बना दिया है।

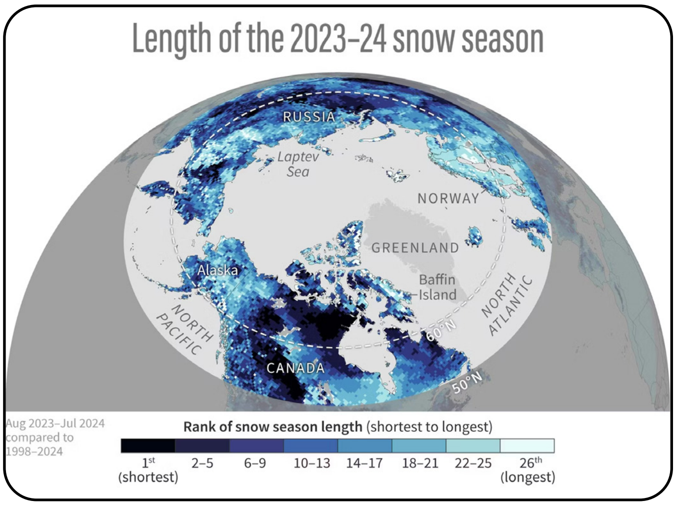

आर्कटिक टुंड्रा के बारे में:

- टुंड्रा एक ठंडी, बिना पेड़ों वाली जैविक प्रणाली (बायोम) है, जिसकी बढ़ने की अवधि बहुत छोटी होती है। यह दो क्षेत्रों में पाई जाती है:
  - » **आर्कटिक टुंड्राः** आर्कटिक सर्कल के ऊपर।
  - » **एल्पाइन टुंड्राः** ऊंचे पहाड़ी क्षेत्रों में।
- दोनों क्षेत्रों में सालाना 25 सेमी से कम वर्षा होती है और लंबे, ठंडे सर्दी के मौसम होते हैं।
- मिट्टी ज्यादातर परमाफ्रॉस्ट से बनी होती है।
- यहां केवल काई, लाइकेन जैसी छोटी वनस्पतियां पाई जाती हैं।
- जानवर जैसे कारिबू, आर्कटिक लोमड़ी और ध्रुवीय भालू सख्त ठंड और सीमित संसाधनों के अनुकूल होते हैं। इनमें से कुछ प्रवास करते हैं या सर्दियों में निष्क्रिय रहते हैं।

आगे की राहः

- आर्कटिक टुंड्रा जलवायु परिवर्तन और मानव गतिविधियों से बढ़ते खतरों का सामना कर रहा है। अगर वैश्विक ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम किया जाए, तो परमाफ्रॉस्ट के पिघलने की गति धीमी हो सकती है और संग्रहित कार्बन के उत्सर्जन को रोका जा सकता है। हालांकि, वर्तमान उत्सर्जन स्तर अधिक बने हुए हैं, जिससे नुकसान को उलटना मुश्किल हो रहा है।

Face to Face Centres
DELHI MUKHERJEE NAGAR: 9205274741, 42 | LAXMI NAGAR : 9205212500, 9205962002 | RAJENDRA NAGAR: 9205274743 | UTTAR PRADESH PRAYAGRAJ: 0532-2260189, 8853467068 | LUCKNOW (ALIGANJ): 0522-4025825, 9506256789 | LUCKNOW (GOMTI NAGAR): 7234000501, 7234000502 | GREATER NOIDA: 9205336037, 38 | KANPUR: 7887003962, 7897003962 | GORAKHPUR : 7080847474, 9161947474 | ODISHA BHUBANESWAR: 9818244644/7656949029
dhyeyaias.com

- जीवाश्म ईंधन और वनों की कटाई से होने वाले उत्सर्जन के 2024 में और बढ़ने की संभावना है। इससे परमाफ्रॉस्ट तेजी से पिघलेगा और ग्लोबल वार्मिंग और तेज होगी। आर्कटिक टुंड्रा का भविष्य ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम करने और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों को अपनाने के लिए वैश्विक स्तर पर आक्रामक प्रयासों पर निर्भर करता है।

POSH अधिनियम को राजनीतिक दलों पर लागू किए जाने की आवश्यकता?

सन्दर्भ: हाल ही में, राजनीतिक पार्टियों में यौन उत्पीड़न की शिकायतों को संभालने के लिए किसी तंत्र की कमी का मुद्दा एक जनहित याचिका (PIL) के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट में उठाया गया। इस याचिका में राजनीतिक संगठनों में महिलाओं के लिए सुरक्षित कार्यस्थल की अनुपस्थिति पर सवाल खड़े किए गए हैं।

- सवाल यह है कि क्या यौन उत्पीड़न रोकथाम (POSH) अधिनियम को राजनीतिक दलों पर लागू किया जाना चाहिए?
- सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में याचिकाकर्ता को चुनाव आयोग (ECI) से संपर्क करने का निर्देश दिया है ताकि राजनीतिक दलों के भीतर यौन उत्पीड़न की शिकायतों को निपटाने के लिए एक आंतरिक तंत्र (इन-हाउस मैकेनिज्म) विकसित किया जा सके।

POSH एक्ट का उद्देश्य और दायरा:

- 2013 में लागू किया गया POSH एक्ट कार्यस्थलों पर यौन उत्पीड़न को रोकने के लिए बनाया गया है। यह एक्ट संगठनों को आंतरिक शिकायत समिति (ICC) बनाने के लिए बाध्य करता है।
- यह कानून 10 या उससे अधिक कर्मचारियों वाले सभी कार्यस्थलों (सरकारी और निजी दोनों) पर लागू होता है। इसमें वे स्थान भी शामिल हैं जहाँ कर्मचारी काम करते हैं या नौकरी के दौरान यात्रा करते हैं।
- POSH एक्ट 'कार्यस्थल' को व्यापक रूप से परिभाषित करता है, जिसमें पारंपरिक कार्यालय, कारखाने, और सरकारी/निजी फंड से संचालित स्थान शामिल हैं। लेकिन राजनीतिक पार्टियों पर इसका लागू होना स्पष्ट नहीं है, क्योंकि वे पारंपरिक कार्यस्थल के दायरे में नहीं आतीं।

राजनीतिक पार्टियां और POSH एक्ट:

- राजनीतिक पार्टियों में औपचारिक नियोक्ता-कर्मचारी संबंध नहीं होता है। पार्टी कार्यकर्ताओं के पास तय कार्यस्थल या औपचारिक अनुबंध नहीं होते।
- पार्टियों के अभियान और जनसभाएं विकेंद्रीकृत होती हैं, जो 'कार्यस्थल' की स्पष्ट परिभाषा के तहत नहीं आतीं।
- 2022 में केरल हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया कि राजनीतिक पार्टियों को ICC बनाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उनके पास पारंपरिक नियोक्ता-कर्मचारी ढांचा नहीं है।
- इसके बावजूद, कुछ लोगों का मानना है कि राजनीतिक पार्टियां, जो महत्वपूर्ण सार्वजनिक संस्थान हैं, को अन्य कार्यस्थलों की तरह महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान सुनिश्चित करने के लिए इन्हीं मानकों का पालन करना चाहिए।

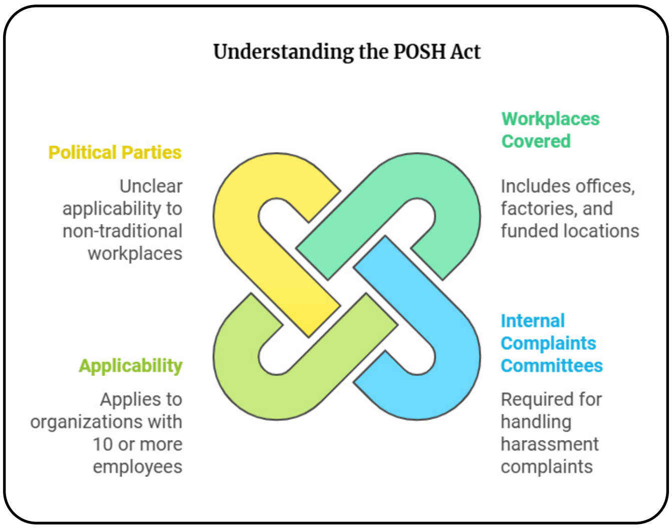

चुनाव आयोग की भूमिका:

- चुनाव आयोग (ECI) राजनीतिक पार्टियों के पंजीकरण, संचालन, और चुनावी प्रक्रिया की निगरानी करता है। हालांकि, राजनीतिक संगठनों में POSH एक्ट लागू करवाना पारंपरिक रूप से ECI की जिम्मेदारी नहीं रही है।
- इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता को ECI से संपर्क करने का निर्देश दिया है ताकि यौन उत्पीड़न की शिकायतों को संभालने के लिए एक आंतरिक तंत्र बनाया जा सके।
- ECI ने पहले गैर-चुनावी मामलों, जैसे RTI और बाल श्रम अधिनियम के अनुपालन में सलाहकार भूमिका निभाई है, लेकिन राजनीतिक पार्टियों पर POSH एक्ट लागू करने की उसकी क्षमता पर सवाल है।

राजनीतिक पार्टियों की वर्तमान अनुशासन प्रणाली:

- राजनीतिक पार्टियां अपनी अनुशासन समितियों के माध्यम से आंतरिक मामलों को संभालती हैं, लेकिन ये समितियां POSH एक्ट के ICC मानकों पर खरी नहीं उतरतीं।
- POSH एक्ट के तहत ICC में कम से कम एक बाहरी सदस्य और संतुलित लैंगिक संरचना होना अनिवार्य है।
- कई राजनीतिक पार्टियों के पास शिकायतों को संभालने के लिए औपचारिक ढांचा नहीं है, जिससे कार्यकर्ताओं, स्वयंसेवकों या पदाधिकारियों के लिए यौन उत्पीड़न की शिकायत दर्ज कराना मुश्किल हो जाता है।

Face to Face Centres
DELHI MUKHERJEE NAGAR: 9205274741, 42 | LAXMI NAGAR : 9205212500, 9205962002 | RAJENDRA NAGAR: 9205274743 | UTTAR PRADESH PRAYAGRAJ: 0532-2260189, 8853467068 | LUCKNOW (ALIGANJ): 0522-4025825, 9506256789 | LUCKNOW (GOMTI NAGAR): 7234000501, 7234000502 | GREATER NOIDA: 9205336037, 38 | KANPUR: 7887003962, 7897003962 | GORAKHPUR : 7080847474, 9161947474 | ODISHA BHUBANESWAR: 9818244644/7656949029
dhyeyaias.com

आगे की राहः

राजनीतिक पार्टियों पर POSH एक्ट लागू करने के लिए कानूनी स्पष्टता आवश्यक है। संसद या सुप्रीम कोर्ट इसे 'कार्यस्थल' की परिभाषा में शामिल कर सकती है। चुनाव आयोग राजनीतिक दलों के लिए आचार संहिता में महिला सुरक्षा और ICC अनिवार्यता को शामिल कर सकता है। राजनीतिक दल स्वायत्त शिकायत तंत्र स्थापित कर सकते हैं, जो POSH एक्ट के मानकों का पालन करे। महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए बाहरी विशेषज्ञों और लैंगिक विविधता वाली समितियां बनाई जाएं। सामाजिक दबाव और प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से राजनीतिक दलों को महिला-अनुकूल वातावरण बनाने के लिए प्रेरित करना आवश्यक है।

पॉवर पैक्ड न्यूज़

10वें अंतर्राष्ट्रीय वन मेले का उद्घाटन

- भोपाल में 10वां अंतर्राष्ट्रीय वन मेला 17 दिसंबर से 23 दिसंबर तक आयोजित हो रहा है। इस मेले का उद्घाटन मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने किया। मेला वन क्षेत्र से जुड़े संग्राहकों, उत्पादकों, व्यापारियों, उद्यमियों, वैज्ञानिकों, प्रशासकों और नीति निर्माताओं के लिए एक मंच प्रदान करेगा, जहां वे वन संसाधनों और उनके प्रबंधन के मुद्दों पर चर्चा करेंगे।
- मेले में श्रीलंका, नेपाल और ऑस्ट्रेलिया के प्रतिनिधि भी शामिल हो रहे हैं। इस वर्ष का विषय 'लघु वनोपज के माध्यम से महिला सशक्तिकरण' रखा गया है, क्योंकि मध्य प्रदेश में लघु वनोपज प्रबंधन का महत्वपूर्ण हिस्सा महिलाओं द्वारा किया जाता है।
- इस मेले का उद्देश्य वन संसाधनों के प्रबंधन और महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में जागरूकता बढ़ाना है।

रूस 2025 में भारतीय पर्यटकों के लिए वीजा-मुक्त यात्रा शुरू करेगा

- रूस ने भारतीय पर्यटकों के लिए वीजा-मुक्त यात्रा की शुरुआत करने का ऐलान किया है। जून 2024 में, रूस और भारत ने द्विपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किए, जिसके तहत भारतीय पर्यटक बिना वीजा के रूस की यात्रा कर सकेंगे। यह वीजा-मुक्त यात्रा 2025 के वसंत के बाद शुरू होगी।

- इस समझौते का मुख्य उद्देश्य भारतीय और रूसी नागरिकों के बीच पर्यटन को बढ़ावा देना है, खासकर समूह पर्यटन के आदान-प्रदान के माध्यम से। भारतीय नागरिकों को पहले ही 62 देशों में वीजा-मुक्त यात्रा की अनुमति प्राप्त है।
- इसके अलावा, भारतीय पर्यटक अगस्त 2023 से रूस के लिए ई-वीजा आवेदन कर सकते हैं, जो चार दिनों में संसाधित हो जाता है।
- रूस के लिए भारतीय पर्यटकों का मुख्य आकर्षण व्यवसाय और काम होता है। 2023 में, 60,000 से अधिक भारतीय नागरिक मास्को का दौरा करने के लिए रूस गए थे। रूस ने चीन और ईरान जैसे देशों के नागरिकों के लिए पहले से ही वीजा-मुक्त पर्यटक विनिमय कार्यक्रम शुरू किया है।
- इस कदम से दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक और व्यापारिक संबंधों को और भी मजबूती मिलेगी।

नया सर्वेक्षण पोत 'आईएनएस निर्देशक' भारतीय नौसेना में शामिल किया गया

- भारतीय नौसेना ने अपना नया सर्वेक्षण पोत 'आईएनएस निर्देशक' 18 दिसंबर को विशाखापत्तनम में शामिल किया।

- यह पोत भारतीय नौसेना के लिए गहरे समुद्र से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी एकत्र करेगा और युद्धपोतों तथा पनडुब्बियों के संचालन में मदद करेगा।
- सर्वेक्षण पोत 'निर्देश' को 80 प्रतिशत से अधिक स्वदेशी सामग्री से बनाया गया है और यह अत्याधुनिक हाइड्रोग्राफिक और समुद्र विज्ञान सर्वेक्षण उपकरणों से लैस है।
- पोत का निर्माण कोलकाता स्थित गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स (GRSE) ने किया है, और इसका वजन 3800 टन है।
- यह पोत 110 मीटर लंबा है और इसमें दो डीजल इंजन हैं। इस पोत का मुख्य उद्देश्य हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण करना, नेविगेशन में सहायता प्रदान करना और समुद्री संचालन का समर्थन करना है।
- यह पोत भारतीय नौसेना की गहरे समुद्र में उपलब्धियों को और बढ़ाएगा और समुद्र से संबंधित खतरों से निपटने में मदद करेगा।

Face to Face Centres
DELHI MUKHERJEE NAGAR: 9205274741, 42 | LAXMI NAGAR: 9205212500, 9205962002 | RAJENDRA NAGAR: 9205274743 | UTTAR PRADESH PRAYAGRAJ: 0532-2260189, 8853467068 | LUCKNOW (ALIGANJ): 0522-4025825, 9506256789 | LUCKNOW (GOMTI NAGAR): 7234000501, 7234000502 | GREATER NOIDA: 9205336037, 38 | KANPUR: 7887003962, 7897003962 | GORAKHPUR: 7080847474, 9161947474 | ODISHA BHUBANESWAR: 9818244644/7656949029
dhyeyaias.com

पूर्व फुटबॉल खिलाड़ी मिखाइल कैवेलशविली जॉर्जिया के राष्ट्रपति बने

- पूर्व फुटबॉल खिलाड़ी मिखाइल कैवेलशविली 14 दिसंबर 2024 को जॉर्जिया के राष्ट्रपति बने। उन्होंने चुनाव में आसान जीत हासिल की, क्योंकि वह चुनाव में एकमात्र उम्मीदवार थे। उनकी जीत जॉर्जियाई ड्रीम पार्टी के प्रभाव से सुनिश्चित हुई, जो संसद के 300 सीटों वाले निर्वाचक मंडल को नियंत्रित करती है।
- जॉर्जियाई ड्रीम पार्टी ने अक्टूबर 2024 में हुए चुनाव में संसद पर अपना नियंत्रण बरकरार रखा, हालांकि विपक्ष ने आरोप लगाया कि यह चुनाव मास्को की मदद से धांधली की गई थी।
- कैवेलशविली की जीत से जॉर्जिया में रूस समर्थक रुख का संकेत मिलता है। 2018 से 2024 तक जॉर्जिया की राष्ट्रपति पश्चिम समर्थक सलोमी जौराबिचविली थीं, जिनका कार्यकाल समाप्त हुआ। कैवेलशविली की चुनावी सफलता ने जॉर्जिया में राजनीतिक और कूटनीतिक परिवर्तन का संकेत दिया है और उनकी सरकार जॉर्जिया के अंतर्राष्ट्रीय संबंधों और आंतरिक मामलों में महत्वपूर्ण बदलाव ला सकती है।

भारत ने मस्कट, ओमान में महिला जूनियर एशिया कप 2024 हॉकी चैंपियनशिप जीती

- भारत ने मस्कट, ओमान में महिला जूनियर एशिया कप 2024 हॉकी चैंपियनशिप का खिताब जीतने में सफलता हासिल की।
- भारतीय टीम ने खिताबी मुकाबले में चीन को पेनल्टी शूटआउट में 3-2 से हराकर अपनी चैंपियनशिप का सफलतापूर्वक बचाव किया।
- इस शानदार जीत के बाद हॉकी इंडिया ने प्रत्येक खिलाड़ी को 2 लाख रुपये और सहायक स्टाफ को 1 लाख रुपये का इनाम देने की घोषणा की।
- भारत की दीपिका सेहरावत ने 12 गोल के साथ टूर्नामेंट में शीर्ष स्कोरर का खिताब जीता।
- 2023 में भारत ने अपने पहले महिला हॉकी जूनियर एशिया कप खिताब को भी जीता था, जब उन्होंने कोरिया गणराज्य को हराया था। इस बार की जीत भारतीय महिला हॉकी के लिए एक और बड़ी उपलब्धि है।

एक देश, एक चुनाव

- हाल ही में भारतीय सरकार ने 'एक देश, एक चुनाव' के संकल्प की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। 17 दिसंबर 2024 को, केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने लोकसभा में दो महत्वपूर्ण बिल पेश किए: संविधान (129वां संशोधन) बिल और संघ राज्य क्षेत्र कानून (संशोधन) बिल।
- इन बिलों का उद्देश्य लोकसभा, राज्य विधानसभा, नगर पालिका और पंचायतों के चुनावों का समन्वय करना है, जिसमें देशभर में एक साथ चुनाव कराने के लिए अनुच्छेद 82A की प्रस्तावना है।

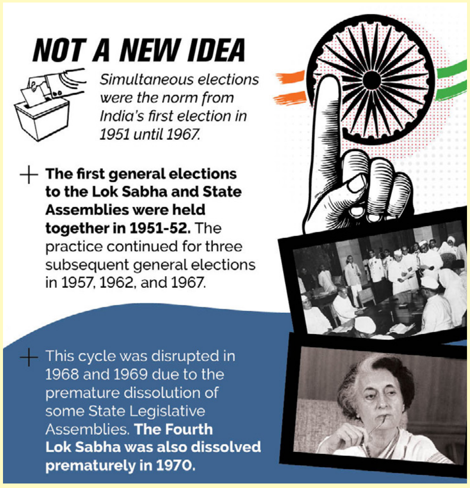

समान चुनावों पर उच्च स्तरीय समिति:

- भारत सरकार ने 2 सितंबर 2023 को समान चुनावों पर उच्च स्तरीय समिति का गठन किया, जिसकी अध्यक्षता पूर्व राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद कर रहे हैं। समिति का मुख्य उद्देश्य लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के लिए एक साथ चुनावों की संभावनाओं की जांच करना था, ताकि सरकार, व्यापारों, राजनीतिक दलों और नागरिक समाज पर होने वाले चुनावों के बोझ को कम किया जा सके।
- उच्च स्तरीय समिति ने लोकसभा, राज्य विधानसभाओं और स्थानीय निकायों के लिए समन्वित चुनावों की सिफारिश की है, ताकि बार-बार चुनावों के कारण सरकार, व्यापारों, न्यायालयों, राजनीतिक दलों और नागरिक समाज पर पड़ने वाले बोझ को कम किया जा सके।
- चुनाव दो चरणों में आयोजित किए जाने चाहिए:
  - » **पहला चरण:** लोकसभा और राज्य विधानसभा चुनावों को एक साथ आयोजित किया जाए।
  - » **दूसरा चरण:** स्थानीय निकाय चुनाव (पंचायती और नगरपालिका चुनाव) सामान्य चुनावों के 100 दिनों के भीतर कराए जाएं।

Face to Face Centres
DELHI MUKHERJEE NAGAR: 9205274741, 42 | LAXMI NAGAR : 9205212500, 9205962002 | RAJENDRA NAGAR: 9205274743 | UTTAR PRADESH PRAYAGRAJ: 0532-2260189, 8853467068 | LUCKNOW (ALIGANJ): 0522-4025825, 9506256789 | LUCKNOW (GOMTI NAGAR): 7234000501, 7234000502 | GREATER NOIDA: 9205336037, 38 | KANPUR: 7887003962, 7897003962 | GORAKHPUR : 7080847474, 9161947474 | ODISHA BHUBANESWAR: 9818244644/7656949029
dhyeyaias.com